e-mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या : 01– के0 यो0 क्षमतावर्द्धन (RSTI-Gaya)–11/2021 2639 **पटना, दिनांक** : 02-09-2021

आदेश

अपर समाहर्त्ता–सह–प्राचार्य, राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया के पत्रांक–13 दिनांक 19.06.2021 के द्वारा प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया के रख–रखाव एवं खान–पान (Hospitality Management Services) हेतु निविदा का प्रकाशन किया गया है।

उक्त प्रकाशित निविदा के एक निविदादाता Creative Enterprises, 301/A Regency Villa , K.T. Vihar Complex, Om Nagar, Ambadi Road Vassi (W) Thane-401 202 द्वारा निविदा प्रक्रिया में पक्षपात एवं अनियमितता के संबंध में कार्यालय को परिवाद पत्र दिनांक 07.07.2021 को प्राप्त हुआ है।

प्राप्त परिवाद पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के आलोक में अपर समाहर्त्ता–सह–प्राचार्य, राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया से निविदा प्रक्रिया एवं एजेंसी चयन से संबंधित सभी अभिलेखों की मांग इस कार्यालय के पत्रांक– 2130 दिनांक 28.07.2021 के द्वारा विशेष दूत के माध्यम से की गई। आदेश का अनुपालन नहीं होने के कारण उन्हें स्मारित किया गया कि पुनः दिनांक 09.08.201 तक अभिलेख उपलब्ध कराया जाय, इसके बावजूद भी अभिलेख निर्धारित तिथि तक प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अपर समाहर्त्ता–सह–प्राचार्य से कारण पृच्छा की गई साथ ही यह भी आदेशित किया गया कि **"Hospitality Management Services के लिए चयनित एजेंसी से किसी प्रकार का कार्य न लिया जाय तथा जहाँ है, जैसे है, का सिद्धांत अपनाया जाय तथा किसी भी प्रकार का भुगतान न किया जाय"**।

दिनांक 11.08.2021 को सर्वे कार्यों की साप्ताहिक बैठक में अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को उपरोक्त वस्तुस्थिति से अवगत कराने पर अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने पर निविदा प्रक्रिया की जांच हेतु त्रि–सदस्यीय जाँच समिति दिनांक 12.08.2021 को राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया भेजने का निदेश दिया गया, जिसमें निम्न सदस्य शामिल थे :–

1. **श्री अखिलेश कुमार झा** (बि0प्र0से0, सेवानिवृत्त),
   एल0आई0एस0 सलाहकार, बी0पी0एम0यू0
2. **श्री वीरेन्द्र कुमार,**
   सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना।
3. **श्री शैलेश कुमार श्रीवास्तव,**
   सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना।

त्रि–सदस्यीय जाँच समिति द्वारा दिनांक 12.08.2021 को राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया जाकर निविदा प्रक्रिया की गहन जाँच की गई तथा विस्तृत जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। विभागीय आंतरिक जांच समिति द्वारा निविदा प्रक्रिया में कतिपय त्रुटियाँ प्रतिवेदित की गईं तथा मंतव्य दिया गया कि निविदा प्रक्रिया में परिलक्षित त्रुटियों पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार का मंतव्य प्राप्त कर लिया जाय।

विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा निविदा निष्पादन प्रक्रिया में त्रुटियों का उल्लेख किया गया, जो निम्न प्रकार है :–

1. *निविदा की शर्तों में Details of work के संबंध में विस्तृत जानकारी नहीं दी गयी।*
2. *कार्य की व्यापकता को देखते हुए निविदा प्रकाशन के पूर्व **Hospitality Management Services** के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त किया जाना चाहिए था, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि आवश्यक जानकारी प्राप्त नहीं की गयी एवं अत्यन्त संक्षिप्त तथा कार्यों के विस्तृत विवरणी का उल्लेख किये बिना ही निविदा प्रकाशित कर दी गई।*

3. उक्त कार्य हेतु निविदा के तकनीकी शर्तों में 400 कर्मियों के EPF Contribution की साक्ष्य की माँग की गयी, जो समीचीन प्रतीत नहीं होता है।

4. निविदा की शर्तों में Scope of work का उल्लेख किया जाना चाहिए, जो नहीं किया गया है।

5. चयनित एजेंसी मे0 कृष्णा कन्सट्रक्शन कम्पनी द्वारा समर्पित प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दिए गए Running cost का उल्लेख जाँच प्रतिवेदन के कंडिका-1 में किया गया है। परन्तु Running cost में कैटरिंग सर्विस में लगने वाले मानव संसाधन का उल्लेख नहीं किया गया है।

निविदा प्रक्रिया में प्रोजेक्ट के अनुरूप कार्य की विवरणी निविदा प्रकाशित करने से पहले ही निविदा में समाहित होती है, उसके आधार पर ही दर का निर्धारण किया जाता है, जबकि इस निविदा में प्रोजेक्ट कॉस्ट निविदा निष्पादन के पश्चात् समर्पित किया गया है तथा दर का उल्लेख किया गया है।

6. खाना का Menu निर्धारित किए बिना दर का निर्धारण कर दिया गया है, जो उचित नहीं है।

7. चयनित एजेंसी द्वारा प्रतिमाह 15,50,000/- रूपये Running cost निर्धारित किया गया है, जो ज्यादा प्रतीत होता है। जाँच दल द्वारा RSTI, बोधगया के भ्रमण के पश्चात् पाया गया कि संस्थान के परिसर एवं परिसर में 05 भवनों में उपलब्ध स्थान एवं कमरों के आलोक में 50 सफाई कर्मी की संख्या ज्यादा प्रतीत होता है।

8. चयनित एजेंसी द्वारा अपने Project Report में दो जेनरेटर रखने की बात कहीं गयी है, जिसके रख-रखाव के लिए 1,50,000/- रूपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। वर्तमान समय में बिजली की स्थिति सामान्यतः ठीक है, ऐसी स्थिति में जेनरेटर का दर ज्यादा लगता है।

9. चयनित एजेंसी द्वारा Receptionists, Electrician, Plumber एवं Washer man की संख्या 3-3 रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

10. निविदा में संस्थान में C.C.T.V. कैमरा लगाने का उल्लेख नहीं किया है तथा एजेंसी द्वारा C.C.T.V. पर होने वाला व्यय के संबंध में भी कोई उल्लेख नहीं है।

11. चयनित एजेंसी द्वारा Project Report में सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किए जाने वाले संसाधन यथा- वाशिंग मशीन, कम्प्यूटर, जेनरेटर, Modular kitchen आदि की स्थापना पर होने वाला व्यय 52,10,000/- रूपये का कोई औचित्य नहीं लगता है।

उक्त के संबंध में यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त राशि का व्यय किस स्तर से किया जाना है। जबकि सरकार के कार्यों में आने वाले व्यय भार का आकलन एवं भुगतान की प्रक्रिया इत्यादि पूर्व से ही निर्धारित होती है।

12. जाँच के क्रम में कार्यालय द्वारा एजेंसी के साथ किए गए एकरारनामा की प्रति उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि एजेंसी द्वारा कौन-कौन सा कार्य किया जाना है तथा एजेंसी को भुगतान किस प्रकार किया जायेगा, वास्तविक कार्य के आधार पर अथवा प्रतिमाह के आधार पर। एकरारनामा किए बिना कार्य प्रारंभ किया जाना वित्तीय नियमावली का उल्लंघन है।

13. चयनित एजेंसी से किसी भी तरह का Performance Security के रूप में बैंक गारंटी या सुरक्षित जमा की राशि जमा नहीं कराया गया।

इसके अतिरिक्त त्रि–सदस्यीय जांच समिति द्वारा बोधगया प्रशिक्षण संस्थान में Hospitality Management Services के निविदा के जांच के क्रम में यह भी पाया गया कि प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया में चयनित एजेंसी के 02 (दो) रिसेप्सनिस्ट एवं दो–तीन सुपरवाईजर के साथ लगभग 20–25 कर्मी कार्यरत थे, जबकि निदेशालय के पत्रों के द्वारा अपर समाहर्त्ता–सह–प्राचार्य, राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया को पूर्व में ही Hospitality Management Services के लिए चयनित एजेंसी से किसी प्रकार का कार्य न लेने तथा जहाँ है, जैसे हैं का सिद्धांत अपनाने के साथ ही किसी भी प्रकार का भुगतान न करने के संबंध में निदेशित कर दिया गया था।

निविदा प्रक्रिया में किए गए पक्षपात एवं अनियमितता के सदंर्भ में समाहर्त्ता–सह–जिला पदाधिकारी, गया ने अपने पत्रांक– 5076 दिनांक 05.08.2021 के द्वारा अपर समाहर्त्ता–सह–प्राचार्य, राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया द्वारा दिए गए प्रतिवेदन को मात्र संलग्न कर भेजा गया है, कोई स्पष्ट अनुशंसा/प्रतिवेदन नहीं दिया गया है।

विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार के मंतव्य एवं जिलाधिकारी, गया एवं अपर समाहर्त्ता–सह–प्राचार्य, प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रतिवेदन की गहन समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत पाया गया कि जिलाधिकारी, गया एवं अपर समाहर्त्ता, गया के प्रतिवेदन में प्राप्त शिकायतों का कंडिकावार निस्तारण की सूचना दी गई है, जबकि विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार के मंतव्य में **निविदा की शर्तों एवं प्रक्रिया को ही त्रुटिपूर्ण एवं अस्पष्ट** बताया गया है। साथ ही आंतरिक वित्तीय सलाहकार के मंतव्य में यह भी उल्लेखित किया गया है कि **वित्तीय नियमावली का मूल सिद्धांत है कि निविदा स्पष्ट होनी चाहिए तथा मितव्ययिता के साथ दर का निर्धारण किया जाना चाहिए, जिसका कि निविदा प्रक्रिया में उल्लंघन हुआ है।**

अतः उपरोक्त सभी पहलुओं पर गहन समीक्षोपरांत एवं विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार के मंतव्य के आलोक में अपर समाहर्त्ता–सह–प्राचार्य, राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया को निदेशित किया जाता है कि Hospitality Management Services हेतु प्रकाशित निविदा को रद्द करने की कार्रवाई अविलंब करें।

विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा उठाये गए त्रुटियों के बिन्दुओं को समाहित कर तथा निविदा हेतु निर्धारित सभी मानकों एवं वित्तीय नियमों का सुदृढ़ता से अनुपालन करते हुए एवं कार्यों के विस्तृत उल्लेख के साथ, पुनः पारदर्शी तरीके से निविदा का प्रकाशन एवं निष्पादन की कार्रवाई सुनिश्चित करें।

2. चूँकि निदेशालय के द्वारा Hospitality Management Services एजेंसी से किसी भी प्रकार का कार्य न लिये जाने तथा किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में पूर्व में ही निदेशित कर दिया गया है, इसके पश्चात भी यदि एजेंसी से कार्य लिया गया है, तो ऐसी स्थिति में उद्भूत अभिश्रव की राशि का व्यय भार निदेशालय स्तर पर वहन नहीं किया जायेगा।

(जय सिंह) 1/9/21
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 01– के० यो० क्षमतावर्द्धन (RSTI-Gaya)–11/2021 2639 **पटना, दिनांक** : 02-09-2021

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता–सह–प्राचार्य, राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक 1/9/21
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 01- के0 यो0 क्षमतावर्द्धन (RSTI-Gaya)-11/2021 2639 पटना, दिनांक : 02-09-2021

प्रतिलिपिः- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 01- के0 यो0 क्षमतावर्द्धन (RSTI-Gaya)-11/2021 2639 पटना, दिनांक : 02-09-2021

प्रतिलिपिः- जिलाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 01- के0 यो0 क्षमतावर्द्धन (RSTI-Gaya)-11/2021 2639 पटना, दिनांक : 02-09-2021

प्रतिलिपिः- अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 01- के0 यो0 क्षमतावर्द्धन (RSTI-Gaya)-11/2021 2639 पटना, दिनांक : 02-09-2021

प्रतिलिपिः- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाप